

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/6317/

जबलपुर, दिनांक 30 / 08 / 2024

श्री मुकेश कुमार बिरहा, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 12.07.2024, 22.07.2024 एवं 25.07.2024 से 29.07.2024 तक कुल 7 दिवस का अवकाश बिना आवेदन एवं अनुमति के उपभोग करने एवं रजिस्ट्री ज्ञापन के संदर्भ में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने तथा आदेशों की अवहेलना किये जाने के फलस्वरूप उक्त अवधि का अवैतनिक किया जाता है।

(दीपक बंसल)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/6318/

जबलपुर, दिनांक 30 / 8 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री मुकेश कुमार बिरहा, कोर्ट अटेंडेंट, Employee Code 180013989
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(दीपक बंसल)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)